जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग।

द्वारा आयोजित

राष्ट्रीय लोक अदालत

(दिनांक 13 सितम्बर 2025, शनिवार, पूर्वाह्न 11.00 बजे से कार्य समाप्ति तक)

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रॉची के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के द्वारा दिनांक **13.09.2025 को 11.00** बजे पूर्वाह्न से **राष्ट्रीय लोक अदालत** का आयोजन किया गया है।

अतः, आप सभी पक्षकारों से निवेदन है कि आप सभी अपने–अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करायें एवं इस अवसर का लाभ उठायें।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दिनांक **13 सितम्बर, 2025** के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय एवं स्थाई लोक अदालत के समक्ष समझौता पूर्व बैठक के लिए **स्वयं** या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को सूचीबद्ध करा सकते है।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य वाद निम्नवत हैः–

A. **प्री.लिटिगेशन मामले**– सभी प्रकार के सिविल एवं आपराधिक सुलहनीय मामले,

B. **न्यायालय में लंबित मामले**–

1	सुलहनीय प्रकृति के आपराधिक मामले
2	धारा 138, N.I.Act के अंतर्गत मामले
3	धन वसुली से संबंधित मामले
4	मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा के मामले
5	श्रम एवं रोजगार विवाद से संबंधित मामले
6	विद्युत, जल बिल एवं अन्य बिल भुगतान (सुलहनीय) से संबधित मामले
7	पारिवारिक विवाद के मामले
8	भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले
9	सेवा एवं पेंशन से संबंधित मामले
10	राजस्व से संबंधित मामले
11	अन्य सिविल वाद

इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु मो0 सं0– 9939201624 पर संपर्क कर सकते हैं एवं विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग से संपर्क करें।

26.8.25

पुलिस अधीक्षक सह सदस्य,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग

उपायुक्त सह उपाध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग

प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
हजारीबाग